(राजस्थान–सरकार)

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, बारॉ (राज.)

पीठासीन अधिकारी सुदर्शन सिंह तोमर (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या :– 1/2013

बउनवान

राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार छबडा जिला बारॉ (राज.)

(प्रार्थी)

बनाम

1– ऊकार पुत्र बल्देवा जाति खेरवा निवासी मदनाखेडी तहसील छबडा जिला बारॉ
2– रामप्रसाद पुत्र बल्देवा जाति खेरवा निवासी मदनाखेडी तहसील छबडा जिला बारॉ
3– मोहन पुत्र बल्देवा जाति खेरवा निवासी मदनाखेडी तहसील छबडा जिला बारॉ
4– सरवन पुत्र बल्देवा जाति खेरवा निवासी मदनाखेडी तहसील छबडा जिला बारॉ
5– मांगीलाल पुत्र हनुमत जाति खेरवा निवासी मदनाखेडी तहसील छबडा जिला बारॉ
6– पानाबाई पुत्री हनुमत जाति खेरवा निवासी मदनाखेडी तहसील छबडा जिला बारॉ
7– नाराणी बेवा रामचरण जाति खेरवा हाल निवासी असनावर तहसील असनावर जिला झालावाड

(अप्रार्थीगण)

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 82 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956

उपस्थित :– 1– पेरोकार सरकार **(प्रार्थी)**
2– श्री अनोज कुमार शर्मा अभिभाषक **(अप्रार्थी कम्र.1 ता 6)**

निर्णय दिनांक 19.08.2019

राजस्थान सरकार जर्ये :– प्रार्थी तहसीलदार छबडा ने रेफरेंस केस अन्तर्गत धारा 82 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 के तहत अप्रार्थीगण के विरूद्व प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम मदनाखेडी तहसील छबडा की भूमि खसरा नम्बर 35/3 रकबा 0.10 हेक्टयर भूमि किस्म गैर मुमकीन नाला मुताबिक रेकार्ड खतौनी बन्दोवस्त सम्वत् 2012–2031 मे खाता सरकार मे सिवायचक दर्ज रेकार्ड थी। उपरोक्त वर्णित भूमि भू राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 88 व 88 (2) के अनुसार सरकार के स्वामित्व की ही भूमि है तथा ऐसी भूमियो का राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 16 मे किसी भी प्रकार से आवंटन/नियमन करना वर्जित है।

उक्त ग्राम मदनाखेडी की भूमि खसरा नम्बर 35/3 रकबा 0.10 हेक्टयर भूमि दिनांक 17.11.1965 को उपखण्ड अधिकारी छबडा द्वारा श्री बल्देवा जाति खेरवा निवासी मदनाखेडी तहसील छबडा के हक मे नियमन/आवंटन की गयी है तथा वर्तमान राजस्व रेकार्ड जमाबन्दी सम्वत् 2065–68 मे हैसियत खातेदार अप्रार्थी क्रम 1 ता 7 के नाम दर्ज है।

उपरोक्त आवंटन राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 16 के तहत अवैधानिक है तथा डी.बी. सिविल जनहित याचिका संख्या 1536/03 उनवान अब्दुल रहमान बनाम सरकार निर्णय दिनांक 2.8.2004 से ऐसी आराजी को पुनः पूर्ववत स्थिति मे दर्ज किया जाना है। अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अनुरोध है कि उपरोक्त आवंटन को खारिज फरमावे। ताकि भूमि को पूर्व की स्थिति अनुसार दर्ज किया जा सके।

प्रार्थना पत्र पेश होने पर रेफरेंस दिनांक 21.02.2013 को दर्ज रजिस्टर कर, अप्रार्थीगण को जर्ये सम्मन तलब किया गया। अप्रार्थीगण क्रम 1 ता 6 द्वारा जर्ये अभिभाषक उपस्थित होकर, जवाब प्रस्तुत किया गया । जो शामिल पत्रावली किया गया। अप्रार्थी क्रम 7 को जर्ये रजिस्टर्ड सम्मन से तलब किया गया। जिसके बावजूद सूचना के अनुपस्थित रहने पर प्रकरण मे बहस उभयपक्ष की सुनी गई।

बहस के दौरान पेरोकार सरकार ने कहा कि जो भूमि किस्म गैर मुमकीन नाला अप्रार्थी को आवंटन की गई है। वह राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 16 के अन्तर्गत आवंटन योग्य नही है। रेकार्ड व मौके पर विवादित भूमि गैर मुमकीन नाला अवस्थित है। डी.बी. सिविल जनहित याचिका संख्या 1536/03 उनवान अब्दुल रहमान बनाम सरकार निर्णय दिनांक 2.8.2004 से ऐसी आराजी को पूर्ववत दर्ज किया जाना है। अतः आवंटन निरस्त फरमाया जावे। ताकि माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णय की पालना की जा सके।

अप्रार्थी के अभिभाषक ने बहस के दौरान कहा कि अप्रार्थीगण के विरूद्व इस न्यायालय मे जो रेफरेंस प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है वह गलत तथ्यों के आधार पर पेश किया गया है। अप्रार्थीगण के पिता को जो भूमि खसरा नम्बर 35/3 नियमन/आवंटन की गयी थी, वह भूमि आवंटन/नियमन करते समय भी नाले के रूप मे नही थी। अप्रार्थीगण के पिता को सन् 1965 मे उक्त भूमि आवंटन/नियमन की गई थी। तब से आज तक अप्रार्थीगण उक्त भूमि पर कृषि कार्य करते आ रहे है तथा इस कृषि से ही अपने परिवार का पालन पोषण करते है। इस भूमि के अतिरिक्त अप्रार्थीगण के पास जीवन व्यापन का कोई साधन नही है। उक्त भूमि नियमन/आवंटन के समय से ही समतल भूमि है। उक्त भूमि पर किसी प्रकार का कोई नाला वगैराह नही रहा है, भूमि पूर्ण रूप से कृषि योग्य है। अप्रार्थीगण के विरूद्व राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार छबडा द्वारा प्रस्तुत किया गया रेफरेंस प्रार्थना पत्र निरस्त फरमाये जाने हेतु निवेदन किया गया।

हमने उभयपक्ष की बहस को सुना व पत्रावली का अद्योपान्त अवलोकन किया, पत्रावली मे उपलब्ध रिकार्ड का भी अवलोकन किया, अप्रार्थी को नियमन/आवंटन की गई भूमि ग्राम मदनाखेडी जिसके खसरा नम्बर 35/3 रकबा 0.10 हेक्टयर है। जो किस्म सम्वत् 2012 मे भी राजस्व रिकार्ड मे गैर मुमकीन नाला था, वह भी विद्यमान है। वह आवंटन/नियमन योग्य नही है। उक्त रकबा अप्रार्थी को किस्म गैर मुमकीन नाला का आवंटन/नियमन किया गया है, जो विधि अनुरूप न होने से प्रारम्भतः ही शून्य है। डी.बी. सिविल जनहित याचिका संख्या 1536/03 उनवान अब्दुल रहमान बनाम सरकार निर्णय दिनांक 2.8.2004 से ऐसी आराजी को पुनः पूर्ववत स्थिति मे दर्ज किये जाने के निर्देश माननीय उच्च न्यायालय बैंच जोधपुर ने दिये है।

परिणाम स्वरूप राजस्थान सरकार जर्ये प्रार्थी तहसीलदार छबडा द्वारा अप्रार्थीगण के विरूद्व प्रस्तुत रेफरेंस प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य माना जाकर ग्राम मदनाखेडी तहसील छबडा के खसरा नम्बर 35/3 रकबा 0.10 हेक्टयर भूमि किस्म गैरमुमकीन नाला अप्रार्थी को नियमन/आवंटन की गई है। जिसको निरस्त किये जाने हेतु राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 82 के अन्तर्गत रेफरेंस मूल प्रार्थना पत्र बाद अनुशंषा माननीय न्यायालय निबन्धक, राजस्व मण्डल अजमेर को प्रेषित हो। तहसीलदार छबडा को निर्देशित किया जाता है कि इस न्यायालय की पत्रावली प्राप्त कर, राजकीय अधिवक्ता से सम्पर्क स्थापित कर माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल अजमेर मे रेफरेंस प्रस्तुत करवाकर प्रकरण मे सावचेत होकर पैरवी करना सुनिश्चित करे।

निर्णय आज दिनांक 19.08.2019 को सरे इजलास लिखाया जाकर सुनाया गया।

(सुदर्शन सिंह तोमर)
अति0 जिला कलक्टर, बारॉ

Signature Not Verified
Digitally signed by Sudarshan Singh Tomar
Date: 2019.09.18 16:04:00 IST
Reason: SelfAttested
Location: